

पुनरीक्षित आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-जेएसएस/2018/577

भोपाल, दिनांक 02/11/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला - बड़वानी, छतरपुर, धार, रीवा, पन्ना, दतिया, बुरहानपुर, एवं नरसिंहपुर

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक

जिला चिकित्सालय अशोकनगर, देवास

मध्य प्रदेश

विषय : चिकित्सा अधिकारियों के लिये जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी में प्रशिक्षण - दिनांक 19-24 नवम्बर 2018 ।

जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी एक स्वयं सेवी संस्था है, यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के समीप स्थित है। इस संस्था का उद्देश्य न्यूनतम लागत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित निवारक (Preventive) एवं रोग निवारक (Curative) सुविधाएँ क्षेत्र के गरीब एवं आदिवासी जनता को सुलभ एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना है। जन स्वास्थ्य सहयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी संस्था की वेब साईट <http://www.jssbilaspur.org/about-jss/> पर देखी जा सकती है।

जन स्वास्थ्य सहयोग के माध्यम से प्रदेश के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये एक सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का सातवां सत्र अब दिनांक 19-24 नवम्बर 2018 तक आयोजित किया गया है जिसमें भाग लेने हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित किया जाता है-

Name of MO	Place of Posting	District	Mobile No.	email ID
GAURAV BANSAL	District Hospital	Ashoknagar	7804081080	drgaurav2013@gmail.com
DHEERAJ BAMNIYA	PHC, Chachariapati	Badwani	9755678652	djbamniyambbs50@gmail.com
AVADHESH KUMAR CHATURVEDI	PHC, Rajnagar	Chhatarpur	9009594000	dr.gopi1983@gmail.com
DEVEN ARYA	District Hospital	Dewas	7389606394	deven2123@gmail.com
PAWAN PARIHAR	PHC, Pipalya	Dhar	9826834939	pawanparihar369@gmail.com
NITIN KUMAR SHUKLA	PHC, Beeda	Rewa	9926045069	drnk.shuk30@gmail.com
DEVENDRA RIPUDAMAN SINGH	PHC Dhamana	Narsinghpur	8109813072	dev.rdx1983@gmail.com


Name of MO	Place of Posting	District	Mobile No.	email ID
AJAY CHOUDHARY	PHC Saleha	Panna	7748965256	-
POORNAK KHARE	PHC haret	Datia	9993381052	-
MOHIT RAJPUT	PHC Magwa	Chhatarpur	9424715552	-
NISHANT MISHRA	CHC Shahpur	Burhanpur	7000611991	-
ANKUR TARAI	DH	Ashoknagar	7999551055	-

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था गनियारी/बिलासपुर में संस्थान के द्वारा ट्वीन शेयरिंग आधार पर रहेगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के लिये यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान शासकीय नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रशिक्षण मद से किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. प्रशिक्षण में केवल संचालनालय द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
7. नामांकित चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि वसूली योग्य होगी।
8. नामांकित अधिकारी यदि किसी विशेष कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी munshi.rakesh@gmail.com पर प्राप्त करना आवश्यक है।
9. प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को जन स्वास्थ्य सहयोग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, ठहरने की व्यवस्था एवं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से संस्थान पहुँचने के लिये वाहन व्यवस्था हेतु श्री जुनेद कमाल से ईमेल आईडी igunatmac@gmail.com मोबाईल नं. 7999568455, 9424417637 पर संपर्क किया जा सकता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./एमओ-जेएसएस/2018/ 578
प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ

भोपाल, दिनांक 02/11/2018

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
3. डॉ रमन कटारिया, जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
4. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश